संख्या-129/2024/I/738759/2024/71-1002/209/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि के सापेक्ष देय अवशेष धनराशि रू0 408.00 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/32, दिनांक 27.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु 05 प्रतिशत के रूप में अवशेष देय धनराशि रू0 408.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 38820.02 लाख के सापेक्ष अब तक कुल रू0 38412.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा परियोजना की बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि के सापेक्ष रू0 408.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के निर्माण कार्य हेतु बकाया 05 प्रतिशत की अवशेष देय धनराशि रू0 408.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के पूंजीलेखा पक्ष के मानक मद 24-वहृत निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-4210-03-105-55 में प्राविधानित धनराशि में से रू0 358.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4210-03-789-01-05 में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख, इस प्रकार कुल **रू0 408.00 लाख (रू0 चार करोड़ आठ लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्पलीशन, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. परियोजना के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1753/-71-1-2012-जी-88/2008, दिनांक 18.09.2012 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,58,00,000 (रुपये तीन करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031055500 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई जालौन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037890500 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।